

सेबी और डिपॉजिटरी द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार लाभार्थी स्वामी और डिपॉजिटरी के अधिकार और बाध्यताएं

सामान्य शर्तें

1. लाभार्थी स्वामी और डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) डिपॉजिटरी अधिनियम 1996, सेबी (डिपॉजिटरी और सहभागी) विनियम 1996, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के नियमों और विनियम, उनके द्वारा जारी परिपत्र/ अधिसूचनाएं/ दिशानिर्देशों, निक्षेपागारों द्वारा जारी कानूनों और व्यवसाय नियमों/परिचालन निर्देशों और समय-समय पर लागू सरकारी प्राधिकारियों की संबंधित अधिसूचनाओं के प्रावधानों से बाध्य होंगे.
2. डीपी द्वारा सेबी द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट पूर्ण खाता खोलने के फॉर्म, केवाईसी और अन्य सहायक दस्तावेजों के प्राप्त होने के बाद ही डिपॉजिटरी सिस्टम में किसी लाभार्थी स्वामी का डीमैट खाता खोला/सक्रिय किया जाएगा.

लाभार्थी स्वामी सूचना

3. डीपी खाता खोलने के फॉर्म में दिए गए सभी लाभार्थी स्वामी/स्वामियों के विवरण, उनके द्वारा प्रस्तुत सहायक दस्तावेजों और/ अथवा लाभार्थी स्वामी संबंधी किसी अन्य जानकारी का रिकॉर्ड गोपनीयता से रखेगा और किसी सांविधिक, कानूनी अथवा इस संबंध में नियामक प्राधिकरण के अलावा किसी से यह जानकारी साझा नहीं करेगा.
4. डीमैट खाता खोलते समय खाता खोलने के फॉर्म में अथवा समय-समय पर डीपी को प्रस्तुत विवरणों में यदि कोई परिवर्तन होता है तो लाभार्थी स्वामी तत्काल डीपी को इस संबंध में लिखित रूप में सूचित करेंगे.

फीस/ प्रभार/ टैरिफ

5. लाभार्थी स्वामी डीपी द्वारा उपलब्ध कराई गई टैरिफ सूची में विनिर्दिष्टानुसार डीपी को अमूर्त रूप में प्रतिभूतियों को रखने तथा अंतरण करने और डीपी तथा लाभार्थी स्वामी के बीच समय-समय जताई गई सहमति के अनुसार डिपॉजिटरी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए प्रभार का भुगतान करेंगे. लाभार्थी स्वामी को यह सूचना दी जाए कि "डीमैट खाता खोलने के लिए कोई प्रभार देय नहीं है."
6. डीमैट खाते की मूलभूत सुविधाओं के मामले में डीपी संबंधित सेबी और/ अथवा समय समय पर जारी डिपॉजिटरी परिपत्रों/ दिशानिर्देशों/अधिसूचनाओं के अंतर्गत दिए गए प्रभार संरचनाओं का अनुपालन करेगा.
7. डीपी किसी सहमत प्रभार/टैरिफ में बढोतरी नहीं करेगा बशर्ते कि इसने लाभार्थी स्वामी को इस बारे में कम से कम तीस दिन पूर्व लिखित में सूचना दी है.

अमूर्तीकरण

8. लाभार्थी स्वामी को उन प्रतिभूतियों को प्राप्त करने का अधिकार है जो डिपॉजिटरी में उनके उप विधियों, व्यवसाय नियमों और निक्षेपागारों के परिचालन निर्देशों के तहत और अमूर्तीकृत स्वरूप में रखी गई हैं.

अलग खाता

9. डीपी प्रत्येक लाभार्थी स्वामी के नाम अलग खाते खोलेगा और प्रत्येक लाभार्थी स्वामी की प्रतिभूतियों को अलग-अलग किया जाएगा और इसे अन्य लाभार्थी स्वामी की प्रतिभूतियों से मिलाया नहीं जाएगा और/अथवा डीपी की अपनी प्रतिभूतियां अमूर्तीकृत रूप में रखी जाएंगी.
10. डीपी डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996, सेबी (डिपॉजिटरी एवं सहभागी) विनियम, 1996 और डिपॉजिटरी के उप विधि/परिचालन दिशानिर्देशों/व्यवसाय नियमों में विनिर्दिष्ट तरीकों और स्वरूपों को छोड़ कर अमूर्तीकरण हेतु प्रस्तुत और/अथवा डीमैट खातों में रखी गई ऐसी किसी अथवा सभी प्रतिभूतियों को गिरवी रखने और/अथवा दृष्टिबंधक रखने अथवा कोई अन्य हित अथवा ऋणभारग्रस्त करने के लिए लाभार्थी स्वामी को अनुमति नहीं देगा.

प्रतिभूतियों का अंतरण

11. डीपी लाभार्थी स्वामी द्वारा विधिवत् प्राधिकृत आदेश, अनुदेश, निर्देश अथवा मैन्डेट के आधार पर ही लाभार्थी स्वामी के डीमैट खातों से ही अंतरण की कार्रवाई करेगा और डीपी मूल दस्तावेज और ऐसे अधिकरण की लेखा-परीक्षा ट्रेल रखेगा.
12. लाभार्थी स्वामी अपने डीमैट खाते में प्रतिभूतियों को क्रेडिट करने के संबंध में स्थायी अनुदेश देने का अधिकार सुरक्षित रखता है और डीपी को ऐसे अनुदेशों के आधार पर कार्रवाई करनी चाहिए.

खाते का विवरण

13. डीपी लाभार्थी स्वामी को सेबी/डिपॉजिटरी द्वारा विनिर्दिष्ट और लाभार्थी स्वामी के साथ सहमत स्वरूप और तरीके और समय के अनुसार खातों के विवरण उपलब्ध कराएगा.
14. हालांकि, यदि डीमैट खाते में लेनदेन नहीं किया गया है, या यदि वर्ष में शेषराशि शून्य हो गई है, तो डीपी वार्षिक रूप से ऐसे बीओ को होल्डिंग का एक भौतिक विवरण भेजेगा और जब खाते में लेनदेन किया जाता है तो लेनदेन का विवरण भेजना शुरू करेगा.
15. यदि लाभार्थी स्वामी इच्छुक हो तो डीपी डीमैट खातों के विवरण को जारी करने की सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक मोड में उपलब्ध करवा सकता है. डीपी लाभार्थी स्वामी को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत शासित अपने डिजिटल हस्ताक्षर के साथ डीमैट खाते का विवरण प्रदान करेगा. यद्यपि, यदि डीपी के पास डीमैट खाते के विवरण को इलेक्ट्रॉनिक मोड में उपलब्ध कराने की सुविधा नहीं है तो सहभागी डीमैट खाते के विवरण को भौतिक रूप में उपलब्ध कराएंगे.
16. डीमैट खाते की मूलभूत सेवाओं के मामले में, डीपी सेबी और/अथवा डिपॉजिटरी द्वारा समय-समय पर दिए गए मैन्डेट के अनुसार लेनदेन विवरण उपलब्ध कराएगा.
17. डीपी को किसी भी वजह से लाभार्थी स्वामी के डीमैट खाता बंद करने का अधिकार होगा बशर्ते डीपी ने लाभार्थी स्वामी और डिपॉजिटरी को 30 दिनों के भीतर लिखित में इसकी सूचना दी हो. इसी तरह लाभार्थी स्वामी को यह अधिकार है कि वह डीपी में अपना डीमैट खाता बंद कर दे परंतु डीपी को कोई प्रभाव नहीं दिया जाएगा. ऐसे प्रसंग में लाभार्थी स्वामी यह उल्लेख करेगा कि उसके डीमैट खाते की शेष राशि को अन्य डीपी में लाभार्थी स्वामी के दूसरे डीमैट खाते में अंतरित कर दिया जाए या प्रतिभूति शेष का रिमैटरियालाइज्ड कर दिया जाए.

18. लाभार्थी स्वामी के अनुदेशों के आधार पर डीपी ऐसी प्रतिभूति को अंतरित करने या प्रतिभूति शेष रिमैटेरियलाइज्ड करने की प्रक्रिया, डिपॉजिटरी द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार 30 दिनों के भीतर शुरू करेगा. बशर्ते यह भी कि डीमैट खाता बंद करने से न ही लाभार्थी स्वामी और न ही डीपी के अधिकारों, देयताओं और दायित्वों पर प्रभाव पड़ेगा और पक्षों को अपने संतोषजनक पूर्णता के प्रति बाध्य रहेंगे.

प्रभारों के भुगतान में चूक

19. लाभार्थी स्वामी के डीमैट खाते को बंद करने के डीपी के अधिकार को हानि पहुंचाए बिना डिमांड की तारीख से 30 दिनों के भीतर खंड 5 एवं 6 में उल्लिखित किसी राशि के भुगतान में लाभार्थी स्वामी के चूक करने कि घटना में, डीपी डिपॉजिटरी द्वारा ऐसी चूक की अवधि के लिए समय-समय पर निर्धारित दर पर ब्याज प्रभारित करेगा.

20. यदि लाभार्थी स्वामी उपरोक्त खंड 5 एवं 6 में उल्लिखित किसी राशि को भुगतान करने में असफल होता है, तो डीपी को यह अधिकार होगा कि वह लाभार्थी स्वामी को दो दिन की सूचना देने के बाद लाभार्थी स्वामी के अनुदेशों की प्रोसेसिंग तब तक रोक दें जब तक कि वह ब्याज, यदि कोई हो, के साथ उस राशि का भुगतान न कर दें.

21. डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 की धारा 16 के अनुसार –

1. उस समय लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों को हानि पहुंचाएं बिना, डिपॉजिटरी या सहभागियों लापरवाही के कारण लाभार्थी स्वामी को हुई किसी हानि के लिए डिपॉजिटरी ऐसे लाभार्थी स्वामी को क्षतिपूर्ति देगा.
2. उपरोक्त खंड)1 के अंतर्गत सहभागी (की लापरवाही के कारण हुई हानि की क्षतिपूर्ति डिपॉजिटरी द्वारा की जाएगी और डिपॉजिटरी को अधिकार है कि वह सहभागी से उसकी वसूली करें.

खातों को फ्रीज़/ डिफ्रीज़ करना

22. लाभार्थी स्वामी को उप-विधि और व्यवसाय नियम/ परिचालन अनुदेशों के अंतर्गत निर्धारित प्रतिबंधों के अधीन और प्रक्रिया के अनुसार डीपी में अपने डिमैट खाते को फ्रीज़ डिफ्रीज़ करने का अधिकार है.

23. डीपी या डिपॉजिटरी को किसी विनियामक या अदालत या किसी सांविधिक प्राधिकारी से अनुदेश प्राप्त होने पर लाभार्थी स्वामी के खाते को फ्रीज़/ डिफ्रीज़ करने का अधिकार है.

निवेशकों की शिकायत का निपटान

24. डीपी अपने विरुद्ध लाभार्थी स्वामी की शिकायत का निपटान शिकायत प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर करेगा.

प्राधिकृत प्रतिनिधि

25. यदि लाभार्थी स्वामी बांडी कॉर्पोरेट या विधिक संस्था है, तो वह अपने प्राधिकृत अधिकारियों, जो संस्था की ओर से प्रतिनिधित्व और बातचीत करेगा, की सूची को खाता खोलने के फॉर्म के साथ डीपी को प्रस्तुत करेगा. ऐसी सूची में किसी को जोड़ने, हटाने या संशोधन जैसे किसी बदलाव से डिपॉजिटरी को सूचित किया जाएगा.

कानून और अधिकार-क्षेत्र

26. इस दस्तावेज़ में निर्धारित विनिर्दिष्ट अधिकारों के अलावा, डीपी और लाभार्थी स्वामी उन अधिकारों का उपयोग करने के पात्र है जो डीपी या लाभार्थी स्वामी के पास संबन्धित डिपॉजिटरी के नियमों, उप-विधि, विनियम और इसके अंतर्गत जारी परिपत्रों/ सूचनाओं या सेबी के नियमों और विनियम के अंतर्गत डिमैट खाता खोला गया है.

27. इस दस्तावेज़ के प्रावधान हमेशा सरकार की अधिसूचना सेबी द्वारा जारी नियम, विनियम, दिशानिर्देशों और परिपत्रों/ सूचनाओं और संबंधित रिपोजिटरी जिसमें लाभार्थी स्वामी का खाता है, के नियमों, विनियम और उप-विधि जो समय-समय पर लागू हो सकते हैं, के अधीन होंगे.

28. लाभार्थी स्वामी और डीपी डिपॉजिटरी के उप-विधि के अंतर्गत निर्धारित मध्यस्थता और समझौते की प्रक्रिया द्वारा बाध्य होंगे और यह प्रक्रिया डीपी और लाभार्थी स्वामी के बीच के किसी भी विवाद में लागू होगा.

29. इस दस्तावेज़ में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्ति जो इसमें परिभाषित नहीं हैं, उनका वही आशय होगा जो नियमों, उपनियमों और विनियम तथा डिपॉजिटरी और/ अथवा सेबी द्वारा जारी परिपत्रों/सूचनाओं में निर्धारित है, जब तक कि उनका अर्थ अन्य परिप्रेक्ष्य में आवश्यक न हो.

30. अधिकारों अथवा बाध्यताओं में कोई भी परिवर्तन जो कि सेबी/निक्षेपागारों द्वारा विनिर्दिष्ट हैं उन्हें भी एक बार ग्राहक की सूचना में लाया जाना चाहिए.

31. इसके साथ पार्टी के अधिकार और बाध्यताओं में कोई बदलाव सेबी अथवा डिपॉजिटरी के उप नियमों, विनियम में परिवर्तन के कारण किया जाता है जिसमें लाभार्थी स्वामी का अपना खाता है, तो दस्तावेज़ में वर्णित पार्टी के अधिकारों और बाध्यताओं में संशोधन के संबंध में ऐसे बदलाव इसमें निहित समझे जाएं.



एकल/ प्रथम धारक



द्वितीय धारक



तृतीय धारक

Rights and Obligations of Beneficial Owner and Depository Participant as prescribed by SEBI and Depositories

General Clause

1. The Beneficial Owner and the Depository participant (DP) shall be bound by the provisions of the Depositories Act, 1996, SEBI (Depositories and Participants) Regulations, 1996, Rules and Regulations of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Circulars/Notifications/Guidelines issued there under, Bye Laws and Business Rules/Operating Instructions issued by the Depositories and relevant notifications of Government Authorities as may be in force from time to time.
2. The DP shall open/activate demat account of a beneficial owner in the depository system only after receipt of complete Account opening form, KYC and supporting documents as specified by SEBI from time to time.

Beneficial Owner information

3. The DP shall maintain all the details of the beneficial owner(s) as mentioned in the account opening form, supporting documents submitted by them and/or any other information pertaining to the beneficial owner confidentially and shall not disclose the same to any person except as required by any statutory, legal and regulatory authority in this regard.
4. The Beneficial Owner shall immediately notify the DP in writing, if there is any change in details provided in the account opening form as submitted to the DP at the time of opening the demat account or furnished to the DP from time to time.

Fees/Charges/Tariff

5. The Beneficial Owner shall pay such charges to the DP for the purpose of holding and transfer of securities in dematerialized form and for availing depository services as may be agreed to from time to time between the DP and the Beneficial Owner as set out in the Tariff Sheet provided by the DP. It may be informed to the Beneficial Owner that "no charges are payable for opening of demat accounts"
6. In case of Basic Services Demat Accounts, the DP shall adhere to the charge structure as laid down under the relevant SEBI and/or Depository circulars/ directions/notifications issued from time to time.
7. The DP shall not increase any charges/tariff agreed upon unless it has given a notice in writing of not less than thirty days to the Beneficial Owner regarding the same.

Dematerialization

8. The Beneficial Owner shall have the right to get the securities, which have been admitted on the Depositories, dematerialized in the form and manner laid down under the Bye Laws, Business Rules and Operating Instructions of the depositories.

Separate Accounts

9. The DP shall open separate account in the name of each of the beneficial owners and securities of each beneficial owner shall be segregated and shall not be mixed up with the securities of other beneficial owners and/or DP's own securities held in dematerialized form.
10. The DP shall not facilitate the Beneficial Owner to create or permit any pledge and/or hypothecation or any other interest or encumbrance over all or any of such securities submitted for dematerialization and/or held in demat account except in the form and manner prescribed in the Depositories Act, 1996, SEBI (Depositories and Participants) Regulations, 1996 and Bye Laws/Operating Instructions/Business Rules of the Depositories.

Transfer of Securities

11. The DP shall effect transfer to and from the demat accounts of the Beneficial Owner only on the basis of an order, instruction, direction or mandate duly authorized by the Beneficial Owner and the DP shall maintain the original documents and the audit trail of such authorizations.
12. The Beneficial Owner reserves the right to give standing instructions with regards to the crediting of securities in his demat account and the DP shall act according to such instructions.

Statement of account

13. The DP shall provide statements of accounts to the beneficial owner in such form and manner and at such time as agreed with the Beneficial Owner and as specified by SEBI/depository in this regard.
14. However, if there is no transaction in the demat account, or if the balance has come Nil during the year, the DP shall send one physical statement of holding annually to such Bos and shall resume sending the transaction statement as and when there is a transaction in the account.
15. The DP may provide the services of issuing the statement of demat accounts in an electronic mode if the Beneficial Owner so desires. The DP will furnish to the Beneficial Owner the statement of demat accounts under its digital signature, as governed under the Information Technology Act, 2000. However if the DP does not have the facility of providing the statement of demat account in the electronic mode, then the Participant shall be obliged to forward the statement of demat accounts in physical form.
16. In case of Basic Services Demat Accounts, the DP shall send the transaction statement as mandated by SEBI and/or Depository form time to time.

Manner of Closure of Demat account

17. The DP shall have the right to close the demat account of the Beneficial Owner, for any reasons whatsoever, provided the DP has given a notice in writing of not less than thirty days to the Beneficial Owner as well as to the Depository. Similarly, the Beneficial Owner shall have the right to close his/her demat account held with the DP provided no charges are payable by him/her to the DP. In such an event, the Beneficial Owner shall specify whether the balances in their demat account should be transferred to another demat account of the Beneficial Owner held with another DP or to rematerialize the security balances held.
18. Based on the instructions of the Beneficial Owner, the DP shall initiate the procedure for transferring such security balances or rematerialize such security balances within a period of thirty days as per procedure specified from time to time by the depository. Provided further, closure of demat account shall not affect the rights, liabilities and obligations of either the Beneficial Owner or the DP and shall continue to bind the parties to their satisfactory completion.

Default in payment of charges

19. In event of Beneficial Owner committing a default in the payment of any amount provided in Clause 5 & 6 within a period of thirty days from the date of demand, without prejudice to the right of the DP to close the demat account of the Beneficial Owner, the DP may charge interest at a rate as specified by the Depository from time to time for the period of such default.
20. In case the Beneficial Owner has failed to make the payment of any of the amounts as provided in Clause 5&6 specified above, the DP after giving two days notice to the Beneficial Owner shall have the right to stop processing of instructions of the Beneficial Owner till such time he makes the payment along with interest, in any.

Liability of the Depository

21. As per Section 16 of Depositories Act, 1996,
 1. Without prejudice to the provisions of any other law for the time being in force, any loss caused to the beneficial owner due to the negligence of the depository or the participant, the depository shall indemnify such beneficial owner.
 2. Where the loss due to the negligence of the participant under Clause (1) above, is indemnified by the depository, the depository shall have the right to recover the same from such participant.

Freezing/Defreezing of accounts

22. The Beneficial Owner may exercise the right to freeze/defreeze his/her demat account maintained with the DP in accordance with the procedure and subject to the restrictions laid down under the Bye Laws and Business Rules/Operating Instructions.
23. The DP or the Depository shall have the right to freeze/defreeze the accounts of the Beneficial Owner on receipt of instructions received from any regulator or court or any statutory authority.

Redressal of Investor grievance

24. The DP shall redress all grievance of the Beneficial Owner against the DP within a period of thirty days from the date of receipt of the complaint.

Authorized representative

25. If the Beneficial Owner is a body corporate or a legal entity, it shall, along with the account opening form, furnish to the DP, a list of officials authorized by it, who shall represent and interact on its behalf with the Participant. Any change in such list including additions, deletions or alterations thereto shall be forthwith communicated to the Participant.

Law and Jurisdiction

26. In addition to the specific rights set out in this document, the DP and the Beneficial Owner shall be entitled to exercise any other rights which the DP or the Beneficial Owner may have under the rules, Bye Laws and Regulations of the respective Depository in which the demat account is opened and circulars/notices issued there under or Rules and Regulations of SEBI.
27. The provisions of this document shall always be subject to Government notification, any rules, regulations, guidelines and circulars/ notices issued by SEBI and Rules, Regulations and Bye-laws of the relevant Depository, where the Beneficial Owner maintains his/her account, that may be in force from time to time.
28. The Beneficial Owner and the DP shall abide by the arbitration and conciliation procedure prescribed under the Bye-laws of the depository and that such procedure shall be applicable to any disputes between the DP and the Beneficial Owner.
29. Words and expressions which are used in this document but which are not defined herein shall unless the context otherwise requires, have the same meanings as assigned thereto in the Rules, Bye-laws and Regulations and circulars/notices issued there under by the depository and/or SEBI.
30. Any changes in the rights and obligations which are specified by SEBI/Depositories shall also be brought to the notice of the clients at once.
31. If the rights and obligations of the parties hereto are altered by virtue of change in Rules and regulations of SEBI or Bye-laws, Rules and Regulations of the relevant depository, where the Beneficial Owner maintains his/her account, such changes shall be deemed to have been incorporated herein in modification of the rights and obligations of the parties mentioned in this document.



Sole/First Holder



Second Holder



Third Holder